



## केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन एक स्वयत्ता संगठन)  
शिक्षा सदन, 17 इन्सटिट्यूशनल क्षेत्र, राउज एवेन्यु, नई दिल्ली - 110002



### CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An autonomous Organization Under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)

"Shiksha Sadan", 17 Institutional Area, Rouse Avenue, New Delhi-110002

के.मा.शि.बो./शै./अ.नि.(अ.एवं न.)/2015

परिपत्र संख्या. शैक्षणिक- 68/2015

दिनांक 15 अक्टूबर 2015

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध  
सभी विद्यालय प्रमुखों के लिए

विषय: शिक्षा के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को योगदान के स्मरण हेतु-  
परियोजना प्रतियोगिता

प्रिय प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या

महान शिक्षाविद, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षामंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद,  
जिनका जन्म 11 नवम्बर 1888 को हुआ था के द्वारा शिक्षा के लिए किए गए योगदान को  
याद करने हेतु, बोर्ड प्रत्येक वर्ष उनके जन्म दिवस का स्मरणोत्सव आयोजित करता है।

राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के संबंध में, बोर्ड से संबंधित विद्यालय साक्षरता तथा शिक्षा के सभी  
पहलुओं के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता के महत्त्व पर प्रत्येक वर्ष सेमिनार, परिसंवाद, निबन्ध लेखन, वक्तता प्रतियोगिता, कार्यशाला तथा  
रैली का आयोजन करते हैं।


विद्यालय विद्यार्थियों के कौशल में वृद्धि की पुष्टि लिए प्रत्येक वर्ष एक दीर्घ अवधि का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। सामुदायिक  
उपक्रमों, व्यावसायिक कौशल, जीवन कौशल और उद्योग आधारित परियोजनाएं, विद्यालय पाठ्यक्रम में समाकालित की जा रही हैं।  
नए भारत के शिक्षा क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिमान स्थापित हो रहे हैं।

इस वर्ष के राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाए जाने के संबंध में, तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद के शिक्षा में योगदान को  
श्रद्धांजलि देने के लिए, के.मा.शि.बो. विद्यालयों द्वारा एक समयावधि में किए गए कार्य के आधार पर एक परियोजना  
अभिमुखी प्रतियोगिता आयोजित करने का प्रस्ताव है। प्रतियोगिता की समयरेखा बाद के पैराग्राफ में दर्शाई गई है। इस  
वर्ष का विषय है कौशल-जागरूकता और सशक्तीकरण।

उद्देश्य:

इस वर्ष के.मा.शि.बो. के सभी विद्यालयों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाना यह सुनिश्चित करने के लिए है कि विद्यार्थी:

- कई परियोजनाओं को प्रस्तुत करते हैं।
- विद्यमान वातावरण में अपनी स्थिरता को बल प्रदान करते हैं।
- अपने सोचविचार, सामाजिक और भावनात्मक कौशल में वृद्धि करते हैं।



- स्वप्रेरित अधिगमकर्ता बनते हैं।
- व्यावसायिक कौशल से सज्जित होते हैं।
- नई पीढ़ी के अधिगमकर्ता, जो सतत जीवन कौशल पर ध्यान देते हैं, का भाग बनते हैं।
- समाज में सार्थक प्रभाव छोड़ते हैं।

### प्रतिभागिता

विद्यालय के एक शिक्षक और विद्यार्थी को नामित किया जाना है जो नियमित और वृहद रूप से व्यवस्था के अन्दर जीवन की आवश्यकता पूर्ति के कौशल परियोजना में सम्मिलित होते हैं, और अपने आस पास के समाज में कौशल वृद्धि करते हैं। शिक्षक को न्यूनतम दो वर्ष और विद्यार्थी को 01 वर्ष परियोजना पर कार्य किया हुआ होना चाहिए। विद्यार्थी को VI से ऊपर की कक्षा का होना चाहिए।

### परियोजना के उप-विषय

- विद्यालय के आस-पास में साफ-सफाई
- समावेशी शिक्षा
- स्वास्थ्य और सुख-सुविधा
- बालिका सशक्तीकरण
- विद्यालय को गोद लेना
- लैंगिक संवेदनशीलता
- वातावरणीय मुद्दे
- 21वीं शताब्दी के कौशल
- अन्य कोई

### प्रक्रिया

1. 6 नवम्बर, 2015 या उससे पूर्व के.मा.शि.बो. की वेबसाइट [www.cbseacademic.in](http://www.cbseacademic.in) पर विद्यालय द्वारा पंजीकरण कराएँ, पंजीकरण ऑनलाइन करवाया जा सकता है या डाउनलोड की गई प्रति संलग्नकों सहित [eo@cbseacademic.in](mailto:eo@cbseacademic.in) को ई-मेल की जा सकती है। प्रत्येक विद्यालय को 500 रुपये प्रक्रिया शुल्क सचिव के.मा.शि.बो. के नामे पंजीकरण फार्म सहित डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा भेजना है।
2. प्रत्येक के.मा.शि.बो. क्षेत्र से 2 दल (एक विद्यार्थी और एक शिक्षक का एक दल) का चयन प्रश्नावली में दी गई जानकारी और डिजीटल साक्ष्यों के आधार पर पैनल के प्रसिद्ध सदस्यों द्वारा किया जाएगा।
3. दल को दिसम्बर 2015 के प्रथम सप्ताह में दिल्ली में पैनल के सदस्यों के साथ अन्तिम दौर के विचार विमर्श, प्रस्तुतीकरण हेतु बुलाया जाएगा।
4. अन्तिम दौर, में प्रतिभागियों द्वारा किए गए कार्य पर 4 मिनट का प्रस्तुतीकरण और निर्णायक मण्डल से आपसी वार्ता सम्मिलित होगी।
5. विद्यालयों को उत्कृष्ट कार्य को जारी रखने के लिए प्रेरित करने हेतु नकद पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जाएगा तथा दलों के प्रतिभागियों को समाज के लिए उनके योगदान हेतु पुरस्कृत किया जाएगा।
6. आमंत्रित विद्यालय के शिक्षक तथा विद्यार्थी को उनके बोर्डिंग स्टेशन से दिल्ली तक आने-जाने के लिए स्लीपर श्रेणी का यात्रा भत्ता दिया जाएगा। उन्हें दिल्ली में रहने के लिए निजी व्यवस्था करनी होगी।
7. अन्य किसी जानकारी के लिए श्री संदीप सेठी, शिक्षा अधिकारी से फोन नं: 23217128 या [eo\\_ss@academic.in](mailto:eo_ss@academic.in) से संपर्क कर सकते हैं।

‘हमें एक क्षण के लिए भी नहीं भूलना चाहिए कि, यह प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है कि, वह न्यूनतम आधारभूत शिक्षा प्राप्त करे, जिसके बिना वह नागरिक के कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वहन नहीं कर सकता’।

‘हृदय से दी गई शिक्षा समाज में क्रान्ति ला सकती है।’

-मौलाना अबुल कलाम आजाद

भवदीया

सुगंध शर्मा

सुगंध शर्मा

अपर निदेशक (अनुसंधान एवं नवाचार)

अधोलिखित, समस्त निदेशालयों, संगठनों, संस्थानों के प्रमुखों और अधिकारियों को प्रतिलिपि इस अनुरोध के साथ जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना प्रदान करने का कष्ट करें।

- 1 आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18-इंस्टीट्यूशनल एरिया, शाहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
- 2 आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी -15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201307
- 3 शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली-110054
- 4 निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर-9 चंडीगढ़-160017
- 5 शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
- 6 निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791111
- 7 शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर-744101
- 8 राज्य शिक्षा संस्थान, के.मा.शि.बो. कक्ष, वी.आई.पी. मार्ग जंगली घाट, पी.ओ.-744103 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
- 9 केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, ए.एस. प्लाजा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085
- 10 अपर महानिदेशक, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू, पीओ, नई दिल्ली-110001
- 11 निदेशक, एडब्ल्यूईएस, रक्षा मंत्रालय (सेना), एकीकृत मुख्यालय, FDRC बिल्डिंग नं 202, शंकर विहार (निकट ए पी एस), दिल्ली कैट-110010.
- 12 सभी क्षेत्रीय निदेशक/क्षेत्रीय अधिकारी के.मा.शि.बो. को अपने संबंधित क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों के प्रमुखों को परिपत्र की प्रति प्रेषित करने हेतु।
- 13 एसोसिएट प्रोफेसर/अपर निदेशक/प्रभारी/अनुसंधान एवं नवाचार, शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नवाचार स्कंध के.मा.शि.बो.
- 14 संयुक्त सचिव/प्रभारी/शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण (शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नवाचार स्कंध, के.मा.शि.बो.)
- 15 सभी एसोसिएट प्रोफेसर और अपर निदेशक/सलाहकार/परामर्शदाता
- 16 सभी अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक-निदेशक, वोकेशनल सेल, के.मा.शि.बो.
- 17 सभी सहायक प्रोफेसर एवं संयुक्त निदेशक, के.मा.शि.बो.
- 18 सभी सहायक प्रोफेसर एवं उप निदेशक, के.मा.शि.बो.
- 19 उप निदेशक (परीक्षा एवं सुधार), के.मा.शि.बो.
- 20 सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, के.मा.शि.बो.
- 21 जन संपर्क अधिकारी, के.मा.शि.बो.
- 22 हिंदी अधिकारी, के.मा.शि.बो.
- 23 अध्यक्ष, के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
- 24 सचिव, के.मा.शि.बो. के निजी सचिव
- 25 परीक्षा नियंत्रक, के.मा.शि.बो. के के निजी सचिव
- 26 निदेशक (विशेष परीक्षा तथा सी.टी.ई.टी.), के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
- 27 निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के निजी सहायक

अपर निदेशक (अनुसंधान एवं नवाचार)